भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4687

21 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

चंडीगढ़ स्थित ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र की स्थिति

†4687. **श्री मनीश तिवारीः**

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि चंडीगढ़ स्थित ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र अप्रैल 2024 से बंद पड़ा है और इस संयंत्र में कार्यरत सफाई कर्मचारियों को तीन महीने से अधिक समय से वेतन नहीं मिला है;

(ख) यदि हाँ, तो वेतन में देरी से कितने कर्मचारी प्रभावित हुए हैं और भुगतान न किए जाने के क्या कारण हैं और वेतन समय पर देना सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार को चंडीगढ़ प्रशासन से संयंत्र के परिचालन हेतु पुनः निविदा जारी करने या वैकल्पिक ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण तंत्र स्थापित करने के लिए कोई अनुरोध या प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) चंडीगढ़ में प्रतिदिन औसतन कितना ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है और वर्तमान में किसी कार्यशील संयंत्र के अभाव में इसका प्रबंधन किस प्रकार किया जा रहा है; और

(ङ) क्या उक्त संयंत्र की परिचालन संबंधी विफलता के लिए उत्तरदायी निजी रियायतग्राही के विरुद्ध कोई दंडात्मक या संविदा संबंधी कार्रवाई की गई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (ङ) : संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार स्वच्छता राज्य का विषय है और भारत के संविधान के 74वें संशोधन द्वारा जल और स्वच्छता सेवाओं संबंधी शक्ति शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को सौंपी गई है। देश के शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता परियोजनाओं की योजना, डिजाइन

तैयार करना, उन्हें कार्यान्वित करना और संचालित करना राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों/शहरी स्थानीय निकायों की जिम्मेदारी है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) और प्रयुक्त जल प्रबंधन (यूडब्ल्यूएम) पर नियमावली/ मानक प्रक्रिया (एसओपी) साझा करके नीतिगत निर्देश, वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करके राज्यों/राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता करता है और ठोस एवं तरल अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकियों के चयन हेतु समय-समय पर विभिन्न परामर्शिकाएं और दिशानिर्देश जारी करता है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पर्याप्त स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों में सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (एसबीएम-यू) शुरू किया, जिसका उद्देश्य शहरों को खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) बनाना और चण्डीगढ़ सहित देश के सभी शहरी क्षेत्रों की नगरपालिका में उत्पन्न ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) का वैज्ञानिक प्रसंस्करण करना था। इस प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए, स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम-यू) 2.0 को 1 अक्टूबर, 2021 को पाँच वर्षों की अवधि के लिए शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य स्रोत पृथक्करण, घर-घर जाकर संग्रहण और अपशिष्ट के सभी अंशों का वैज्ञानिक प्रबंधन करके सभी शहरों को कचरा मुक्त बनाना है। एसबीएम-यू के तहत, भारत सरकार द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधि राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (एसएलटीसी) द्वारा विधिवत अनुमोदित उनकी कार्य योजना के आधार पर जारी की जाती है।

संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ ने बताया है कि 100% डोर-टू-डोर संग्रहण 100% वार्डों में अर्थात् कुल 35 वार्डों में से 35 वार्डों में किया जा रहा है और स्रोत पृथक्करण 100% वार्डों में अर्थात् कुल 35 वार्डों में से 35 वार्डों में किया जा रहा है। इसके अलावा, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट का प्रसंस्करण भी 100% बताया गया है, अर्थात् प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले कुल 490 टन (टीपीडी) अपशिष्ट में से 490 टीपीडी अपशिष्ट का प्रसंस्करण किया जा रहा है।

इसके अलावा, चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र को स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 के एसडब्लूएम घटक के अंतर्गत 28.50 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। इस आवंटित निधि में से 28.50 करोड़ रुपये के केंद्रीय हिस्से वाली कार्य योजनाओं को अनुमोदन दिया जा चुका है और 21.27 करोड़ रुपये पहले ही जारी किए जा चुके हैं।

*****